न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2026-225RAABarmer2026-106RTA223 Lrs of Ajeetsingh ors Vs Lrs of Dungarsingh etc

1. अजीतसिंह पुत्र बागसिंह उर्फ बागा उर्फ बन्ना के कायम मुकामः—
   1.1. इन्द्रसिंह पुत्र अजीतसिंह
   1.2. मगसिंह पुत्र अजीतसिंह
   1.3. खेतसिंह पुत्र अजीतसिंह
   1.4. श्रीमती रूकमोंकंवर पत्नि अजीतसिंह
   जाति रावणा राजपुत (दरोगा) निवासी झणकली तहसील शिव जिला बाडमेर।
   1.5. श्रीमती सुन्दर पुत्री अजीतसिंह पत्नि भगवानसिंह हाल चमनपुरा
   1.6. श्रीमती मीरा पुत्री अजीतसिह पत्नि चतरसिंह निवासी हाल सुरा तहसील व जिला बाडमेर।
   1.7. श्रीमती माया पुत्री अजीतसिंह पत्नि इन्द्रसिंह निवासी हाल गोरडिया तहसील गडरारोड जिला बाडमेर।
2. लालसिंह पुत्र बागसिंह उर्फ बागा उर्फ बन्ना जाति रावणा राजपुत (दरोगा) निवासी झणकली तहसील शिव जिला बाडमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. डूंगरसिंह पुत्र सोनसिंह उर्फ सोना फौत के कायम मुकाम
   1.1. गोरधनसिंह पुत्र डूंगरसिंह
   1.2. रिजुसिंह पुत्र डूंगरसिंह
   1.3. गणपतसिंह उफ गोपीसिंह पुत्र डूंगरसिंह
   1.4. शैतानसिंह पुत्र डूंगरसिंह
   1.5. श्रीमती जमना उर्फ जमनी पत्नि डूंगरसिंह
   जातियान रावणा राजपुत निवासी झणकली तहसील लक्ष्मी नगर बाडमेर हाल दानजी की होदी बाडमेर।
   1.6. श्रीमती सुरिया पुत्री डूंगरसिंह पत्नि राणसिंह परिहार, निवासी— गुडामालानी, जिला बाड़मेर।
   1.7. श्रीमती मीरा उर्फ वीनू पुत्री डूंगरसिंह (पति शंकरसिंह सोलंकी) हाल निवासी— सीविदा कॉलोनी, बेडानगर रोड पोस्ट जैसलमेर।
2. लीलसिंह पुत्र सोनसिंह उर्फ सोना
3. किस्तुरसिंह पुत्र सोनसिंह उर्फ सोना
4. मेहरसिंह पुत्र तारासिंह
5. राजूसिंह पुत्र तारासिंह
6. शम्भूसिंह पुत्र तारासिंह
7. काछबसिंह पुत्र तारासिंह
8. श्रीमती केकू पत्नी तारासिंह
   जातियान् रावणा राजपूत, निवासी— झणकली ,तहसील शिव एवं लक्ष्मी नगर/दानजी की होदी, तहसील व जिला बाड़मेर।
9. तहसीलदार गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मार्च 2026 सहायक
कलक्टर गडरारोड़ राजस्व मूल वाद संख्या 27/2020
अजीतसिंह बनाम डूंगरसिंह इत्यादि

उपस्थित–
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री हरिराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

नि र्ण य

दिनांक : 19 मई 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गडरारोड़ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 27/2020 अनवान अजीतसिंह बनाम डूंगरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मार्च 2026 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 08 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 91, एवं 188 के तहत वादग्रस्त आराजीयात ग्राम झणकली तहसील गडरारोड़ के खसरा नम्बर 336 रकबा 136.12 बीघा के संबंध में 1/2 हिस्से की पुश्तैनी आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीगण/अपीलांट्स का वाद खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट्स के वाद पत्र को द्वारा अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी प्रमाणित किया गया है तथा अपीलान्ट ने मौखिक साक्ष्य के रूप में पी. डब्ल्यू–1 वादी मगसिंह व पी.डब्ल्यू 2 आनन्दसिंह के सशपथ शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय में परिक्षित करवाये गये, जिन्होंने वादीगण के वाद का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुल 6 दस्तावेज वाद के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची सहित पेश किये गये तथा एक दस्तावेज दिनांक 20.08.2024 को जरिये दस्तावेज सूची के पेश किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का समुचित तरीके से विवेचन ही नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर यह अंकित किया गया है कि वादी का वाद प्रमाणित करने में विफल रहने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है, जबकि अपीलान्ट्स ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को पूर्ण रूप से प्रमाणित किया गया है तथा अपीलान्ट्स ने अपनी स्वयं की साक्ष्य व अपने स्वतंत्र गवाह आनन्दसिंह के सशपथ शपथ पत्र पेश किया गया है, जिससे वादग्रस्त भूमि में अपीलान्टगण का हक हिस्सा व कब्जा काश्त होना भलीभांति प्रमाणित है। इस प्रकार

पत्रावली के अवलोकन, अपीलान्ट व उनके गवाहों के बयानों तथा उतरदाता के बयानों से भली भांति साबित हो जाता है कि वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट व उत्तरादाता के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसमें अपीलान्ट्स की रहवासी पक्की ढाणी, पानी का टांका व बकरियों के बाड़े स्थित है, जिस कारण अपीलान्ट्स उक्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा अपनी खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही आंखे मुदकर बिना किसी विधिक आधार के वादी के वाद को अस्वीकार कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट्स के वाद के कथनों का किसी भी पक्षकार ने खण्डन या विरोध नहीं किया है। वक्त सेन्टलमेंट प्रथम जमाबंदी व मिसल बदोबस्त के समय वादीगण के पिता बना उर्फ बागा का नाम बतौर खातेदार सोना के साथ अंकित हुआ है। तत्पश्चात संवत 2016 से 2019 की चौसाला जमाबंदी में भी सोना व बना उर्फ बागा के नाम अंकित हुऐ है, किन्तु संवत 2020 से 2023 की चौसाला जमाबंदी में लिपिकीय भूल से बना का नाम अंकित होने रह गया एवं मात्र सोना पुत्र पूंजा का ही नाम खातेदारी मे अंकित हुआ। बना का नाम खातेदारी से हटाये जाने का कोई कारण नहीं है। इसलिये बिना किसी आदेश के बना का नाम हटाया जाना सर्वथा गैर कानूनी है। तदन्तर सोना के नाम की खातेदारी रेकर्ड में चलती रही, जबकि मौके पर पूर्व में बना उर्फ बागा का एवं उसके देहान्त पर वादीगण का अपने हिस्से की आधी भूमि कब्जा काश्त निरन्तर चलता रहा और वर्तमान में भी वादीगण के कब्जे काश्त में है। ऐसी दशा में वादीगण वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 336 रकबा 136.12 बीघा में 1/2 हिस्से की खातेदारी अंकित करवाते हुऐ घोषित करवाने के अधिकारी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं आधारों पर यह प्रथम दृष्टया भलीभांति साबित है कि अधिनस्थ न्यायालय पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 05.03.2026 विधि विरूद्ध एवं तथ्यों की भूल तथा अपीलान्ट्स के प्रति शुरू से ही शुन्य एवं अवैध होने से काबिले निरस्त है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गडरारोड़ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 27/2020 अनवान अजीतसिंह बनाम डूंगरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मार्च 2026 को अपास्त किया जावे एवं माफिक अनुतोष वाद स्वीकार फरमाया जावे।

जवाब में उतरदाता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वक्त सेटलमेंट से रेस्पो. की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा वादग्रस्त आराजीयात पर केवल रेस्पोडेंट्स का कब्जा काश्त है। यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजीयात की शुरूआती जमाबंदी में अपीलांट्स के पूर्वज का नाम अवश्य रहा है, लेकिन तत्समय अपीलांट्स के पूर्वज अजीतसिंह को खसरा नंबर 286/1405 रकबा 120 बीघा ग्राम मूलाना की भूमि आवंटित हो जाने से उनका नाम वादग्रस्त आराजीयात से विलोपित कर दिया गया। तब से लेकर आज दिन तक रेस्पोडेंट्स का ही वादग्रस्त

आराजीयात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजीयात पर तत्समय से ही कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा कब्जा काश्त के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। कानूनन अपीलांट्स को केवल एक जमाबंदी चौसाला में दर्ज नाम के आधार पर इतनी लंबी अवधि बाद किसी प्रकार की खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती है। अपीलांट्स द्वारा वास्तविक तथ्यों को दावे में छुपाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन पाये जाने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 336 रकबा 136.12 बीघा ग्राम झणकली वक्त सेटलमेंट सोना, बना पिता पूंजा कौम दरोगा के नाम दर्ज रहने तथा अपीलांट्स स्व. बना के वारिसान् होने के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान एवं एवं प्रथम जमाबंदी संवतः 2016 से 2019 के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट के पूर्वज बना एवं सोना के नाम दर्ज होना प्रकट होती है। अपीलांट्स का उज्र है कि उनके पूर्वज बना का नाम बिना किसी सक्षम आदेश से विलोपित किया गया है। अपीलांट के उक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2053–2056 ग्राम मुलाना तहसील फतेहगढ एवं रेस्पो. के कथनों के मुताबिक अपीलांट के पूर्वज अजीतसिंह की खातेदारी में ग्राम मुलाना के खसरा नंबर 286/1405 रकबा 120 बीघा भूमि दर्ज होना प्रकट होती है। रेस्पो. का कथन है कि अपीलांट्स के नाम उक्त भूमि दर्ज हो जाने से वादग्रस्त आराजीयात में उनका नाम विलोपित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा अपने पूर्वज बना का नाम राजस्व रेकर्ड में से विलोपित किये जाने से आज दिनांक तक वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा काश्त होने बाबत किसी प्रकार का दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। कानूनन ठोस दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अभाव में केवल एक जमाबंदी एवं पर्चा लगान के आधार पर वादीगण के वाद को साबित नहीं माना जा सकता है। अदालत हाजा विचारण न्यायालय के इस मत से सहमत है कि **खातेदारी घोषणा हेतु केवल एक जमाबंदी की प्रति अथवा सीमित मौखिक साक्ष्य पर्याप्त नहीं माने जा सकते है।** विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद साबित नहीं होना मानते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर

गडरारोड़ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 27/2020 अनवान अजीतसिंह बनाम डूंगरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मार्च 2026 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर